

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937

No. 791]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

आय-कर

सा. का. नि. 978(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित की धारा 195 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रथम अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 37खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“37खख : किसी अनिवासी, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय हेतु सूचना देना.—(1) किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी रकम का संदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात् :-

(i) प्ररूप 15गक के भाग क में जानकारी, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, यथास्थिति संदाय की रकम या ऐसे संदायों का कुल योग पांच लाख रुपये से अतधिक न हो ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट संदायों से अन्यथा संदायों के लिए, जानकारी, -

(क) प्ररूप संख्या 15गक के भाग ख में निम्नलिखित को अभिप्रात करने के पश्चात्,-

(I) धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र ; या

(II) धारा 195 की उपधारा (2) या उपधारा (3) की अधीन निर्धारण अधिकारी से आदेश ;

(ख) प्ररूप संख्या 15गक के भाग ग में, धारा 288 की उपधारा 2 के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप संख्या 15गख में प्रमाण पत्र अभिप्रात करने के पश्चात।

(2) किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को अधिनियम के उपबंधों के अधीन अप्रभार्य किसी रकम का संदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी प्रारूप संख्या 15गक के भाग घ में देगा ।

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रकम, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य नहीं है के लिए कोई जानकारी देना अपेक्षित नहीं है, यदि, -

(i) विप्रेषण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है और उसके लिए विदेशी विनियम (चालू लेखा संव्यवहार) नियम, 2000 की अनुसूची III के साथ पठित विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999(42) की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है : या

(ii) विप्रेषण नीचे विनिर्दिष्ट सूची के संतम्भ तीन में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है :

विनिर्दिष्ट सूची

क्रम सं.	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कोड	संदाय की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1	एस0001	विदेश में भारतीय विनिधान- साधारण पूंजी(शेयरों) में
2	एस0002	विदेश में भारतीय विनिधान- ऋण प्रतिभूतियों में
3	एस0003	विदेश में भारतीय विनिधान- शाखाओं और पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगियों में
4	एस0004	विदेश में भारतीय विनिधान- समनुषंगियों और सहयुक्तों में
5	एस0005	विदेश में भारतीय विनिधान- स्थावर संपदा में
6	एस0011	अनिवासियों को विस्तारित ऋण
7	एस0101	आयातों के विरुद्ध अग्रिम संदाय
8	एस0102	बीजक के आयात निपटान हेतु संदाय
9	एस0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात
10	एस0104	मध्यवर्ती व्यापार
11	एस0190	5,00,000 रुपये से कम आयात (ईसीडी अधिकारियों द्वारा उपयोग हेतु)
12	एस0202	विदेश में प्रचालित भारतीय जहाजरानी कंपनियों के प्रचालन व्ययों का संदाय
13	एस0208	विदेश में प्रचालित भारतीय हवाई कंपनियों के प्रचालन व्यय
14	एस0212	विदेश में मार्ग का आरक्षण- हवाई कंपनियां
15	एस0301	व्यवसाय यात्रा हेतु विप्रेषण
16	एस0302	आधारभूत यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अधीन यात्रा
17	एस0303	तीर्थ यात्रा हेतु यात्रा
18	एस0304	चिकित्सा उपचार हेतु यात्रा
19	एस0305	शिक्षा (जिसके अंतर्गत फीस, छात्रावास व्यय इत्यादि है) हेतु यात्रा
20	एस0401	डाक सेवाएं
21	एस0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में परियोजनाओं का निर्माण, जिनके अंतर्गत प्रयोजना स्थल पर माल का आयात है
22	एस0602	माल-भाड़ा बीमा- माल के आयात और निर्यात संबंधी
23	एस1011	विदेश में कार्यालयों के अनुरक्षण हेतु संदाय
24	एस1201	विदेश में भारतीय राजदूतावासों का अनुरक्षण
25	एस1202	भारत में विदेशी राजदूतावासों द्वारा विप्रेषण
26	एस1301	अनिवासियों द्वारा कुटुंब भरण पोषण और बचत हेतु विप्रेषण
27	एस1302	व्यक्तिगत दान और संदान हेतु विप्रेषण
28	एस1303	विदेश में धार्मिक और पूर्त संस्थाओं को संदान हेतु विप्रेषण
29	एस1304	अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित पूर्त संस्थाओं को अनुदान और संदानों हेतु विप्रेषण

30	एस1305	सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अभिदान या संदान
31	एस1306	करों के संदाय या प्रतिदाय हेतु विप्रेषण
32	एस1501	निर्यात के कारण बीजक मूल्य में प्रतिदाय या रिबेट या घटाना
33	एस1503	निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्री बोली लगाने हेतु संदाय

4. प्ररूप संख्या 15गक में जानकारी,-

(i) उपनियम (8) के अधीन प्रधान महा निदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन इलक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएगी और उसके पश्चात उक्त प्ररूप का मुद्रित रूप, संदाय के विप्रेषण के पूर्व, प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत की जाएगी ; या

(ii) उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इलक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएगी और उसके पश्चात उक्त प्ररूप का मुद्रित रूप, संदाय के विप्रेषण से पूर्व, प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) आयकर प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपनियम (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 15गक के हस्ताक्षरित मुद्रित प्ररूप को प्राधिकृत व्यौहारी से देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) प्ररूप 15गक में प्रमाण-पत्र उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इलक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा ।

(7) प्राधिकृत व्यौहारी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए प्ररूप 15गग में एक त्रैमासिक विवरण प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) या प्रधान महा निदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा इलक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसा विवरण संबंधित है, की तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर, उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार देगा ।

(8) प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) प्ररूप 15गख, प्ररूप 15गग को देने और सत्यापन हेतु प्रक्रियाएं, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (4), (6), (7) के उपबंधों के अनुसार सूचना, प्रमाण पत्र और त्रैमासिक विवरण देने और सत्यापित करने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकृत व्यौहारी' से विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट-II में, प्ररूप संख्या 15गक और प्ररूप संख्या 15गख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात :-

आयकर विभाग	“प्ररूप संख्या 15गक (नियम 37खख देखें) किसी अनिवासी, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय हेतु दी जाने वाली जानकारी	अभिस्वीकृति संख्या
------------	--	--

भाग क

(यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक हो तो भरा जाए)

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम	
	विविप्रेषणकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो)	
	विविप्रेषणकर्ता का टीएएन (यदि उपलब्ध हो)	
	विविप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या	
	विविप्रेषणकर्ता की हैसियत ¹	
	विविप्रेषणकर्ता की आवसीय हैसियत ²	
प्राप्ति	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो) ³	

विप्रेषण	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल ⁴ , दूरभाष संख्या ⁵	
	जिस देश को विप्रेषण किया गया है	
	टीडीएस (भारतीय मुद्रा में) से पूर्व संदय रकम	
	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रेषणों की कुल रकम, जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावित विप्रेषण है	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम	
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
	विप्रेषण की प्रकृति	
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कोड दे	
	टीडीएस की रकम	
	टीडीएस की दर	
	कटौती की तारीख	

सत्यापन

मैं/हम* (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (पदनाम) की हैसियत से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्त करता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबद्ध करता हूँ/करते हैं।

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दे।

¹ यदि कंपनी हो तो 1, यदि फर्म हो तो 2, यदि व्यक्ति हो तो 3 और यदि अन्य हो तो 4 लिखें।

² कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो 1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें।

³ पीएन की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206कक के उपबंध लागू होंगे।

⁴ यदि उपलब्ध हो।

⁵ यदि उपलब्ध हो।

भाग ख

(यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रुपये से अनधिक हो और आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश/प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी से अभिप्रास किया गया हो, तो भरा जाए)

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम		
	विविप्रेषणकर्ता का पीएएन		
	विविप्रेषणकर्ता का टीएएन ¹		
	विविप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या		
	विविप्रेषणकर्ता की हैसियत ²		
	विविप्रेषणकर्ता की आवसीय हैसियत ³		
प्रेषिती	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम		
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो) ⁴		
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल ⁵ , दूरभाष संख्या ⁶		
ए.ओ. आदेश	धारा जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्रास किया गया है		
	निर्धारण अधिकारी जिसमें आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है, का नाम और पता		
	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख		
	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या		
विप्रेषण	जिस देश को विप्रेषण किया गया है	देश :	मुद्रा :
	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	भारतीय रुपये में
	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंकों में)		(दद/मम/वववव)
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख		
	करार करार दस्तावेज के अनुसार विप्रेषण की प्रकृति		
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन को दें		
	टीडीएस की रकम		
	टीडीएस की दर		
	कटौती की तारीख		

सत्यापन

मैं/हम* (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (पदनाम) की हैसियत से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं/हम* प्रमाणित करता हूँ/करते हैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र/आदेश, जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई हैं, अभिप्रास किया गया है। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबद्ध करता हूँ/करते हैं।

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

.....
अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

- 1 यदि टीएन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या दें।
- 2 यदि कंपनी है तो 1, यदि फर्म है तो 2, यदि व्यक्ति है तो 3, और यदि अन्य है तो 4 लिखें।
- 3 कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो 1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें।
- 4 पीएन की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206क के उपबंध लागू होंगे।
- 5 यदि उपलब्ध हो।
- 6 यदि उपलब्ध हो।

भाग ग

(भरा जाना है, यदि विप्रेषणादेश आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभावी है और यथास्थिति, विप्रेषणादेश या ऐसे विप्रेषणादेशों का समग्र वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक हो जाता है तथा धारा 228 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथाविनिर्दिष्ट किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है)

भाग क		साधारण सूचना																
विप्रेषणाकर्ता	विप्रेषणाकर्ता का नाम																	
	विप्रेषणाकर्ता का पैन										क्षेत्र कूट		एओ किस्म		रेंज कूट		एओ सं.	
	कारबार का प्रधान स्थान										विप्रेषणाकर्ता का टैन ¹							
	विप्रेषणाकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर																	
प्रास्थिति ² ☐										विप्रेषणाकर्ता की आवासीय प्रास्थिति ³ ☐								
विप्रेषणाकर्ता	विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का नाम										विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का ⁴							
	प्रास्थिति ⁵ ☐																	
	पता										वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया :							
	कारबार का प्रधान स्थान										ई-मेल पता		(आईएसडी कूट)-फोन नंबर ()					
लेखाकार	(क)	प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लेखाकार का नाम ⁶																
	(ख)	स्वत्वधारी/फर्म के लेखाकार का नाम																
	(ग)	पता																
	(घ)	लेखाकार का रजिस्ट्रीकरण सं.																
	(ङ)	जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)										प्रमाणपत्र सं. ⁷						
ए.ओ. आदेश	(क)	क्या निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/ 195(3)/197 के अधीन कोई आदेश अभिप्राप्त किया गया है										(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं						
	(ख)	धारा, जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है																
	(ग)	उस निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है																
	(घ)	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख																
	(ङ)	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या																

भाग ख		विविप्रेषण और टीडीएस की विशिष्टियां (लेखकार के प्रमाणपत्र के अनुसार)	
विविप्रेषण	1.	वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया है	देश:
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा
	4.	बैंक शाखा का बीआर कूट (7 अंक)	
	5.	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)
	6.	करार/दस्तावेज के अनुसार विविप्रेषण की प्रकृति	
	7.	आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट	
	8.	विविप्रेषण के करों का कुल होने की दशा में क्या संदेय कर को सकल किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
आयकर अधिनियम	9.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर देयता (डीटीए पर विचार किए बिना)	
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा, जिसके अधीन विविप्रेषण आता है	
		(ख) कर से प्रभार्य आय की रकम	
		(ग) कर दायित्व	
		(घ) करादेय आय और कर दायित्व के अवधारण का आधार	
डीटीए	10.	यदि अनुतोष का डीटीए के अधीन दावा किया गया है तो-	
		(i) क्या विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता से निवास का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
		(ii) कृपया सुसंगत डीटीए को विनिर्दिष्ट करें	
		(iii) कृपया डीटीए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करें	डीटीए के अनुसार संदाय की प्रकृति
		(iv) डीटीए के अनुसार करादेय आय	भारतीय रुपए में
		(v) डीटीए कर दायित्व	भारतीय रुपए में
	अ. यदि विविप्रेषण स्वामिस्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि के विविप्रेषण (स्थायी स्थापना से असंबद्ध) के लिए है तो कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	

	(क) डीटीए का अनुच्छेद		
	(ख) लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	डीटीए के अनुसार (%)	

	आ. विविप्रेषण के कारबार आय के लेखें होने की दशा में कृपया इंगित करें :-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	(क) भारत में कर से दायी आय की रकम			
	(ख) कर की कटौती की दर निश्चित करने का आधार			
	इ. पूंजी अभिलाभों के लेखें विविप्रेषण की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	(क) दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की रकम			
	(ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की रकम			
	(ग) कराधेय आय निश्चित करने का आधार			
	ई. अन्य विविप्रेषण की दशा में, जो उपमद अ, आ और इ के अधीन नहीं आता है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	(क) कृपया विविप्रेषण की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें			
	(ख) क्या डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है			
	(ग) यदि हां, लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित डीटीएस की दर			
	(घ) यदि नहीं तो कृपया डीटीए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें			
	डीटीएस	11. स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम		विदेशी मुद्रा में भारतीय रुपए में
		12. डीटीएस की दर		आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीए के अनुसार (%)
13. डीटीएस के पश्चात् विविप्रेषण की वास्तविक रकम		विदेशी मुद्रा में		
14. स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हों		(दिन/मास/वर्ष)		

सत्यापन

1. मैं/हम* (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है। मैं/हम* प्रमाणित करते हैं कि लेखाकार से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई हैं जो स्रोत पर कर कटौती की रकम, प्रकृति और शुद्धता को प्रमाणित करता है। जहां यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम* उक्त व्यक्तिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित

दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबन्ध करते हैं।

.....

स्थान : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

.....

तारीख : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

* जो लागू न हो उसका लोप कर दें।

1 टीएन के लिए आवेदन करने की दशा में कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें।

2 यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म हैं तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें।

3 कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें।

4 पैन की अनउपलब्धता की दशा में धारा 206कक के उपबन्ध लागू होंगे।

5 कंपनी की दशा में 1 लिखें, फर्म की दशा में 2 लिखें, व्यष्टि की दशा में 3 लिखें और अन्य की दशा में 4 लिखें।

6 लेखाकार का वहीं अर्थ होगा, जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है।

7 कृपया क्रम सं. को लेखकार के प्रमाणपत्र में यथावर्णित भरें।

भाग घ

[भरा जाना है, यदि विविप्रेषण नियम 37खख(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन (नियम 37खख(3) में निर्दिष्ट संदाय से भिन्न) कर से प्रभार्य नहीं है]

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम				
	प्रेषिती का पैन, यदि उपलब्ध हो				
	प्रेषिती का टेन, यदि उपलब्ध हो				
	विविप्रेषिती का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर				
	विविप्रेषिती की प्रास्थिति ¹		☐		
	विविप्रेषिती की आवासीय प्रास्थिति ²				
प्रेषिती	विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का नाम				
	विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का पैन, यदि उपलब्ध हो				
	विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का पूरा पता ई-मेल ³ और फोन नंबर ⁴				
	वह देश जहां विविप्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा:		
	वह देश, जिसका विविप्रेषण का प्राप्तिकर्ता निवासी है, यदि उपलब्ध हो				
विविप्रेषण	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :		भारतीय रुपए में	
	बैंक का नाम	बैंक की शाखा का नाम			
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक)				
	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)			
	विविप्रेषण की प्रकृति				
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट प्रस्तुत करें				

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऊपर दिया गया विविप्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य नहीं है और स्रोत पर कर की कटौती करने का दायी नहीं है।

सत्यापन

1. मैं/हम*..... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है। जहाँ यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम* उक्त व्यतिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे। मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबंध करते हैं।

.....

स्थान :

अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

.....

तारीख :

अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

* जो लागू न हो उसका लोप कर दें।

1 यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म हैं तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें।

2 कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें।

3 यदि उपलब्ध।

4 यदि उपलब्ध।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	केवल कार्यालय उपयोग के लिए
	प्राप्ति संख्या
	तारीख
	प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 15ख

(देखें नियम 37खख)

लेखाकार का प्रमाणपत्र¹

मैंने/हमने* श्री/सुश्री/मैसर्स*..... (विविप्रेषणकर्ता) और श्री/सुश्री/मैसर्स*..... (फायदाग्राही) के बीच (जहां लागू हों) करार की जांच कर ली है, जिसमें पूर्वोक्त विविप्रेषण के साथ सुसंगत दस्तावेजों की अपेक्षा और विविप्रेषण की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए और अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती का अवधारण करने के लिए लेखा बहियों की अपेक्षा है।

हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं :-

अ	विविप्रेषण के फायदाग्राही का नाम और पता			
आ	1.	वह देश, जिसमें विविप्रेषण किया गया है	देश :	मुद्रा:
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	(दिन/मास/वर्ष)
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	4.	बैंक शाखा का बीआर कूट (7 अंक)		
	5.	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
	6.	करार/दस्तावेज के अनुसार विविप्रेषण की प्रकृति		
	7.	यदि विविप्रेषण, करों का योग है तो क्या कर संदाय को सकलित किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
	8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन करध्वेता (डीटीएए पर विचार किए बिना) (i) क्या विविप्रेषण भारत में कर से प्रभार्य है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) यदि नहीं हो उसके कारण		
		(iii) यदि हां, (क) अधिनियम की सुसंगत धारा, जिसके अधीन विविप्रेषण आता है		
		(ख) कर से प्रभार्य आय की रकम		
		(ग) कर दायित्व		
		(घ) कराध्वेय आय और कर दायित्व का अवधारण करने का आधार		
	9.	यदि आय भारत में कर से प्रभार्य है और क्या डीटीएए के अधीन किसी अनुतोष का दावा किया गया है-- (i) क्या निवासी प्रमाणपत्र विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता से अभिप्राप्त किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	

	(ii) कृपया सुसंगत डीटीए विनिर्दिष्ट करें	
	(ii) कृपया डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें	डीटीए के अनुसार संदाय की प्रकृति
	(iii) डीटीए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में
	(iv) डीटीए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए में
	अ. यदि विविप्रेषण स्वामिस्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि के विविप्रेषण (स्थायी स्थापना से असंबद्ध) के लिए है तो कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
	(क) डीटीए का अनुच्छेद	
	(ख) लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	डीटीए के अनुसार (%)
	आ. विविप्रेषण के कारबार आय के लेखें होने की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
	(क) क्या भारत में ऐसी आय कर की दायी है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
	(ख) यदि हां, कर की कटौती की दर निश्चित करने का आधार	
	(ग) यदि नहीं, तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें	
	इ. पूंजी अभिलाभों के लेखें विविप्रेषण की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
	(क) दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की रकम	
	(ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की रकम	
	(ग) कराधेय आय निश्चित करने का आधार	
	ई. अन्य विविप्रेषण की दशा में, जो उपमद अ, आ और इ के अधीन नहीं आता है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं
	(क) कृपया विविप्रेषण की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें	
	(ख) क्या डीटीए के अनुसार भारत में कराधेय है	
	(ग) यदि हां, लागू डीटीए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	
	(घ) यदि नहीं तो कृपया डीटीए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें	
10.	टीडीएस की रकम	विदेशी मुद्रा में भारतीय रुपए में
11	टीडीएस की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%)

		या डीटीएए के अनुसार (%)	
12	टीडीएस के पश्चात् विविप्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
13.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)	

प्रमाणपत्र सं.²

--	--	--	--	--	--

हस्ताक्षर :

नाम :

स्वत्वधारी/फर्म का नाम:

पता :

रजिस्ट्रेशन संख्या:

1. किसी लेखाकार, (कर्मचारी से भिन्न) जैसा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है,।

2. प्रमाणपत्र सं. 1 आंतरिक संख्या है, जो लेखाकार द्वारा दी जाएगी।

जो लागू न हो उसका लोप कर दें.

प्ररूप सं. 15गग

(देखें नियम 37खख)

प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा (वित्त वर्ष) की तिमाही के लिए किए गए विविप्रेषण के संबंध में प्रस्तुत तिमाही विवरण

1. प्राधिकृत व्यौहारी का नाम और पता:

.....

2. स्थायी लेखा सं. :

.....

3. किए गए विविप्रेषण के ब्यौरे :

क्रम सं.	विविप्रेषणकर्ता का नाम	विविप्रेषणकर्ता का पैर	प्रेषिती का नाम	प्रेषिती का पैर, यदि उपलब्ध हो	विविप्रेषण की रकम	विविप्रेषण की तारीख	वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया है	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कूट

सत्यापन

मैं(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

नाम और पदनाम

[अधिसूचना सं. 93/2015 फा.सं.133/41/2015-टीपीएल]

पिताम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण :-- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 3357(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2015

INCOME-TAX

G.S.R. 978(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 195 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (21st Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2016.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), for rule 37BB, the following rule shall be substituted, namely:-

“37BB. Furnishing of information for payment to a non-resident, not being a company, or to a foreign company.— (1) The person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any sum chargeable under the provisions of the Act, shall furnish the following, namely:-

- (i) the information in Part A of Form No.15CA, if the amount of payment or the aggregate of such payments, as the case may be, made during the financial year does not exceed five lakh rupees;
- (ii) for payments other than the payments referred in clause (i), the information,—
 - (a) in Part B of Form No.15CA after obtaining,—
 - (I) a certificate from the Assessing Officer under section 197; or
 - (II) an order from the Assessing Officer under sub-section (2) or sub-section (3) of section 195;
 - (b) in Part C of Form No.15CA after obtaining a certificate in Form No. 15CB from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288.

(2) The person responsible for paying to a non-resident, not being a company, or to a foreign company, any sum which is not chargeable under the provisions of the Act, shall furnish the information in Part D of Form No.15CA.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), no information is required to be furnished for any sum which is not chargeable under the provisions of the Act, if,—

(i) the remittance is made by an individual and it does not require prior approval of Reserve Bank of India as per the provisions of section 5 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) read with Schedule III to the Foreign Exchange (Current Account Transaction) Rules, 2000; or

(ii) the remittance is of the nature specified in column (3) of the specified list below:

SPECIFIED LIST

Sl. No.	Purpose code as per RBI	Nature of payment
(1)	(2)	(3)
1	S0001	Indian investment abroad-in equity capital (shares)
2	S0002	Indian investment abroad-in debt securities
3	S0003	Indian investment abroad-in branches and wholly owned subsidiaries
4	S0004	Indian investment abroad-in subsidiaries and associates
5	S0005	Indian investment abroad-in real estate
6	S0011	Loans extended to Non-Residents
7	S0101	Advance payment against imports
8	S0102	Payment towards imports-settlement of invoice
9	S0103	Imports by diplomatic missions
10	S0104	Intermediary trade
11	S0190	Imports below Rs.5,00,000-(For use by ECD offices)
12	S0202	Payment for operating expenses of Indian shipping companies operating abroad.
13	S0208	Operating expenses of Indian Airlines companies operating abroad
14	S0212	Booking of passages abroad - Airlines companies
15	S0301	Remittance towards business travel.
16	S0302	Travel under basic travel quota (BTQ)
17	S0303	Travel for pilgrimage
18	S0304	Travel for medical treatment
19	S0305	Travel for education (including fees, hostel expenses etc.)
20	S0401	Postal services
21	S0501	Construction of projects abroad by Indian companies including import of goods at project site

22	S0602	Freight insurance - relating to import and export of goods
23	S1011	Payments for maintenance of offices abroad
24	S1201	Maintenance of Indian embassies abroad
25	S1202	Remittances by foreign embassies in India
26	S1301	Remittance by non-residents towards family maintenance and savings
27	S1302	Remittance towards personal gifts and donations
28	S1303	Remittance towards donations to religious and charitable institutions abroad
29	S1304	Remittance towards grants and donations to other Governments and charitable institutions established by the Governments
30	S1305	Contributions or donations by the Government to international institutions
31	S1306	Remittance towards payment or refund of taxes
32	S1501	Refunds or rebates or reduction in invoice value on account of exports
33	S1503	Payments by residents for international bidding.

(4) The information in Form No. 15CA shall be furnished,—

(i) electronically under digital signature in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (8) and thereafter printout of the said form shall be submitted to the authorised dealer, prior to remitting the payment; or

(ii) electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (8) and thereafter signed printout of the said form shall be submitted to the authorised dealer, prior to remitting the payment.

(5) An income-tax authority may require the authorised dealer to furnish the signed printout of Form No.15CA referred to in clause (ii) of sub-rule (4) for the purposes of any proceedings under the Act.

(6) The certificate in Form No. 15CB shall be furnished and verified electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director-General of Income-tax (Systems) under sub-rule (8).

(7) The authorised dealer shall furnish a quarterly statement for each quarter of the financial year in Form No.15CC to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) electronically under digital signature within fifteen days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (8).

(8) The Principal Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of furnishing and verification of Form 15CA, Form 15CB and Form 15CC and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the furnishing and verification of information, certificate and quarterly statement in accordance with the provisions of sub-rules (4), (6) and (7).

Explanation.— For the purposes of this rule ‘authorised dealer’ means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).”.

3. In the said rules, in Appendix-II, for Form No.15CA and Form No. 15CB, the following Forms shall be substituted, namely:—

Income-Tax Department	“FORM NO. 15CA (See rule 37BB)	Ack. No.
	Information to be furnished for payments to a non-resident not being a company, or to a foreign company	

Part A

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, does not exceed five lakh rupees during the financial year)

REMITTER	Name of remitter	
	PAN of the remitter (if available)	
	TAN of the remitter (if available)	
	Complete address, email and phone number of the remitter	
	Status of remitter ¹	☐
	Residential status of remitter ²	
REMITTEE	Name of recipient of remittance	
	PAN of the recipient of remittance, if available ³	
	Complete address, email ⁴ and phone number ⁵ of the recipient of remittance	
	Country to which remittance is made	
REMITTANCE	Amount payable before TDS (In Indian Currency)	
	Aggregate amount of remittances made during the financial year including this proposed remittance	
	Name of bank	
	Name of the branch of the bank	
	Proposed date of remittance	
	Nature of remittance	
	Please furnish the relevant purpose code as per RBI	
	Amount of TDS	
	Rate of TDS	
	Date of deduction	

VERIFICATION

I/We*, _____ (full name in block letters), son/daughter of _____ in the capacity of _____ (designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and no relevant information has been concealed. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my liability under the Income-tax Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place:

Signature of the person responsible for paying to non-resident

Date:

Name and Designation of the person responsible for paying to non-resident

* Delete whichever is not applicable.

¹ Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.² In case of company, write 1 if domestic company, write 2 if foreign company, in case of person other than company, write 3 if resident, write 4 if non-resident³ In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable⁴ If available⁵ If available**Part B**

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, does not exceed five lakh rupees during the financial year and an order/certificate u/s 195(2)/ 195(3)/ 197 of Income-tax Act has been obtained from the Assessing Officer.)

REMITTEE	Name of remitter	
	PAN of the remitter	

	TAN of the remitter ¹		
	Complete address, email and phone number of the remitter		
	Status of remitter ²		☐
	Residential status of remitter ³		
REMITTEE	Name of recipient of remittance		
	PAN of the recipient of remittance, if available ⁴		
	Complete address, email ⁵ and phone number ⁶ of the recipient of remittance		
A.O. ORDER	Section under which order/certificate has been obtained		
	Name and designation of the Assessing Officer who issued the order/certificate		
	Date of order/certificate		
	Order/ certificate number		
REMITTANCE	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
	Name of the Bank	Branch of the Bank	
	BSR Code of the bank branch (7 digit)		
	Proposed date of remittance		(DD/MM/YYYY)
	Nature of remittance as per agreement/ document		
	Please furnish the relevant purpose code as per RBI		
	Amount of TDS		
	Rate of TDS		
	Date of deduction		

VERIFICATION

I/We*, _____ (full name in block letters), son/daughter of _____ in the capacity of _____ (designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and no relevant information has been concealed. I/We* certify that a certificate/order under section 195(2)/195(3)/197 of the Income-tax Act, 1961 has been obtained, particulars of which are given in this Form. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my liability under the Income-tax Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place:

.....
Signature of the person responsible for paying to non-resident

Date:

.....
Name and Designation of the person responsible for paying to non-resident

* Delete whichever is not applicable.

¹In case TAN is applied for, please furnish acknowledgement number of the application.

²Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.

³In case of company, write 1 if domestic company, write 2 if foreign company, in case of person other than company, write 3 if resident, write 4 if non-resident.

⁴In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable.

⁵If available

⁶If available.

Part C

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax under the provisions of Income-tax Act, 1961 and the remittance or the aggregate of such remittances, as the case may be, exceeds five lakh rupees during the financial year and a certificate in Form No. 15CB from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 has been obtained)

Section A		GENERAL INFORMATION																					
REMITTER	Name of the remitter																						
	PAN of remitter												Area Code	AO Type	Range Code	AO No							
	Principal Place of Business												TAN of remitter ¹										
	Complete address, email and phone number of the remitter																						

	Status ² ☐	Residential status of remitter ³ ☐
REMITTEE	Name of recipient of remittance	PAN of recipient of remittance ⁴
	Status ⁵ ☐	
	Address	Country to which remittance is made:
	Principal place of business	Email address
		(ISD code)-Phone Number ()
ACCOUNTANT	(a) Name of the Accountant ⁶ signing the certificate	
	(b) Name of the proprietorship/firm of the accountant	
	(c) Address	
	(d) Registration No. of the accountant	
	(e) Date of certificate (DD/MM/YYYY)	Certificate No. ⁷
A.O. ORDER	(a) Whether any order/ certificate u/s 195(2)/ 195(3)/ 197 of Income-tax Act has been obtained from the Assessing Officer.	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(b) Section under which order/certificate has been obtained	
	(c) Name and designation of the Assessing Officer who issued the order/certificate	
	(d) Date of order/certificate	
	(e) Order/ certificate number	
Section B PARTICULARS OF REMITTANCE AND TDS (as per certificate of the accountant)		
REMITTANCE	1. Country to which remittance is made	Country:
	2. Amount payable	In foreign currency:
	3. Name of the Bank	Branch of the Bank
	4. BSR Code of the bank branch (7 digit)	
	5. Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)
	6. Nature of remittance as per agreement/ document	
	7. Relevant purpose code as per RBI	
	8. In case the remittance is net of taxes, whether tax payable has been grossed up?	(Tick) ☐ Yes ☐ No
I.T.A.C T	9. Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA)	
	(a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered	
	(b) the amount of income chargeable to tax	
	(c) the tax liability	
	(d) basis of determining taxable income and tax liability	
DTAA	10. If any relief is claimed under DTAA- (i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(ii) please specify relevant DTAA	
	(iii) please specify relevant article of DTAA	Nature of payment as per DTAA
	(iv) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.
	(v) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.
	A. If the remittance is for royalties, fee	(Tick) ☐ Yes ☐ No

		for technical services, interest, dividend, etc., (not connected with permanent establishment) please indicate:-	
		(a) Article of DTAA	
		(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	As per DTAA (%)
		B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No
		(a) The amount of income liable to tax in India	
		(b) The basis of arriving at the rate of deduction of tax.	
		C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No
		(a) amount of long term capital gains	
		(b) amount of short-term capital gains	
		(c) basis of arriving at taxable income	
		D. In case of other remittance not covered by sub-items A, B and C	(Tick) ☐ Yes ☐ No
		(a) Please specify nature of remittance	
		(b) Whether taxable in India as per DTAA	
		(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	
	(d) if not, please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA		
TDS	11.	Amount of tax deducted at source	In foreign currency In Indian Rs.
	12.	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or As per DTAA (%)
	13.	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency
	14.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)

VERIFICATION

1. I/We*, _____ (full name in block letters), son/daughter of _____ in the capacity of _____ (designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my/our* knowledge and belief and no relevant information has been concealed. I/We* certify that a certificate has been obtained from an accountant, particulars of which are given in this Form, certifying the amount, nature and correctness of deduction of tax at source. In case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with interest due. I/We* shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Income-tax Act, 1961. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my/our liability under the Income-tax Act, 1961 as a person responsible for deduction of tax at source.

Place: _____ Signature of the person responsible for paying to non-resident

Date: _____ Name and Designation of the person responsible for paying to non-resident

* Delete whichever is not applicable.

¹In case TAN is applied for, please furnish acknowledgement number of the application.

² Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.

³ In case of company, write 1 if domestic company, write 2 if foreign company, in case of person other than company, write 3 if resident, write 4 if non-resident.

⁴In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable.

⁵ Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.

⁶Accountant shall have the meaning as defined in Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

⁷Please fill the serial number as mentioned in the certificate of the accountant.

Part D

[To be filled up if the remittance is not chargeable to tax under the provisions of the Income-tax Act, 1961 {other than payments referred to in rule 37BB(3)} by the person referred to in rule 37BB(2)]

REMITTER	Name of the remitter			
	PAN of the remitter, if available			
	TAN of the remitter, if available			
	Complete address, email and phone number of the remitter			
	Status of remitter ¹		☐	
	Residential status of the remitter ²			
REMITTEE	Name of recipient of remittance			
	PAN of the recipient of remittance, if available			
	Complete address, email ³ and phone number ⁴ of the recipient of remittance			
	Country to which remittance is made	Country:	Currency:	
	Country of which the recipient of remittance is resident, if available			
REMITTANCE	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.	
	Name of the bank	Name of the branch of the bank		
	BSR code of the bank branch (7 digit)			
	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)		
	Nature of remittance			
	Please furnish the relevant purpose code as per RBI			

2. I certify that I have reason to believe that the remittance as above is not chargeable under the provision of Income-tax Act 1961 and is not liable for deduction of tax at source.

VERIFICATION

I/We*, _____ (full name in block letters), son/daughter of _____ in the capacity of _____ (designation) solemnly declare that the information given above is true to the best of my/our* knowledge and belief and no relevant information has been concealed. In a case where it is found that the tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been paid or not paid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax not deducted or not paid, as the case may be, along with interest due. I/We* shall also be subject to the provisions of penalty for the said default as per the provisions of the Income-tax Act, 1961. I/We* further undertake to submit the requisite documents for enabling the income-tax authorities to determine the nature and amount of income of the recipient of the above remittance as well as documents required for determining my/our* liability under the Income-tax Act as a person responsible for deduction of tax at source.

Place:

Signature of the person responsible for paying to non-resident

Date:

Name and Designation of the person responsible for paying to non-resident

* Delete whichever is not applicable.

¹ Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.

² In case of company, write 1 if domestic company, write 2 if foreign company, in case of person other than company, write 3 if resident, write 4 if non-resident.

³ If available.

⁴ If available.

For Office Use only	For Office Use Only
	Receipt No.
	Date
	Seal and Signature of receiving official

Form No. 15CB

(See rule 37BB)

Certificate of an accountant¹

I/We* have examined the agreement (wherever applicable) between Mr./Ms./M/s*..... (Remitters) and Mr./Ms./M/s*..... (Beneficiary) requiring the above remittance as well as the relevant documents and books of account required for ascertaining the nature of remittance and for determining the rate of deduction of tax at source as per provisions of Chapter- XVII-B.

We hereby certify the following :-

A	Name and address of the beneficiary of the remittance			
B	1.	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
	2.	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
	3.	Name of the bank	Branch of the bank	
	4.	BSR Code of the bank branch (7 digit)		
	5.	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)	
	6.	Nature of remittance as per agreement/document		
	7.	In case the remittance is net of taxes, whether tax payable has been grossed up?	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
	8.	Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA)	(Tick) ☐ Yes ☐ No	
		(i) is remittance chargeable to tax in India		
		(ii) if not reasons thereof		
		(iii) if yes,		
		(a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered		
		(b) the amount of income chargeable to tax		
		(c) the tax liability		
		(d) basis of determining taxable income and tax liability		
9.	If income is chargeable to tax in India and any relief is claimed under DTAA-	(Tick) ☐ Yes ☐ No		
	(i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance			
	(ii) please specify relevant DTAA			
	(ii) please specify relevant article of DTAA	Nature of payment as per DTAA		
	(iii) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.		
	(iv) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.		
	A.If the remittance is for royalties, fee	(Tick) ☐ Yes ☐ No		

	for technical services, interest, dividend, etc,(not connected with permanent establishment) please indicate:-	No
	(a) Article of DTAA	
	(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	As per DTAA (%)
	B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(a) Whether such income is liable to tax in India	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(b) If so, the basis of arriving at the rate of deduction of tax.	
	(c) If not, please furnish brief reasons thereof, specifying relevant article of DTAA	
	C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(a) amount of long term capital gains	
	(b) amount of short-term capital gains	
	(c) basis of arriving at taxable income	
	D. In case of other remittance not covered by sub-items A, B and C	(Tick) ☐ Yes ☐ No
	(a) Please specify nature of remittance	
	(b) Whether taxable in India as per DTAA	
	(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	
	(d) if not , please furnish brief reasons thereof, specifying relevant article of DTAA	
10.	Amount of TDS	In foreign currency In Indian Rs.
11	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or As per DTAA (%)
12	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency
13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)

Certificate No.²

--	--	--	--	--

Signature :

Name:

Name of the proprietorship/ firm:

Address:

Registration No.:

¹. To be signed and verified by an accountant (other than employee) as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

². Certificate number is an internal number to be given by the Accountant.

* Delete whichever is not applicable. .

Form No.15CC
(See rule 37BB)

Quarterly statement to be furnished by an authorised dealer in respect of remittances made for the quarter of
of (Financial Year)

1. Name and address of the authorised dealer:
2. Permanent Account Number:
3. Details of remittances made:

Sl. No.	Name of the remitter	PAN of the remitter	Name of the remittee	PAN of the remittee, if available	Amount of remittance	Date of remittance	Country to which remittance is made	Purpose Code as per RBI

Verification

I(full name in block letters), son/daughter of solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above are correct and complete.

Place

Signature

Date

Name and Designation".

[Notification No. 93/2015/ F. No. 133/41/2015-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy and Legislation)

***Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O.3357 (E), dated the 11th December,2015 .*